

प्रेषक,

डा0 इन्द्रमणि त्रिपाठी,

विशेष सचिव,

उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,

अयोध्या / कौशाम्बी / मैनपुरी / बलरामपुर / प्रतापगढ़ / हरदोई / चन्दौली / ललितपुर / बिजनौर / बस्ती / गोण्डा / गाजियाबाद / सन्तकबीरनगर / फिरोजाबाद / देवरिया / बदायूँ / अलीगढ़ / गाजीपुर / बाँदा / सुलतानपुर / बाराबंकी / मऊ / सहारनपुर / कासगंज / कुशीनगर / हाथरस।

नगर विकास अनुभाग-8

लखनऊ: दिनांक 15 जनवरी, 2021

विषय-प्रदेश की नागर निकायों का पं० दीन दयाल उपाध्याय आदर्श नगर पंचायत योजना के अन्तर्गत चयन किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-777/9-8-2018-53ज/2017 टी.सी. दिनांक 21.03.2018 द्वारा प्रदेश के प्रत्येक जनपद की 01 नगर पंचायत को प्रतिवर्ष पं० दीन दयाल उपाध्याय आदर्श नगर पंचायत घोषित कर अवस्थापना सुविधायें विकसित किये जाने की योजना वित्तीय वर्ष 2017-18 से प्रारम्भ की गयी है, जिसके क्रम में शासन के पत्र संख्या-847/ नौ-8-20-02डी0डी0यू0 (बजट)/2020 दिनांक 27 मई, 2020 द्वारा निर्गत किए गये निर्देश के अनुसार सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारियों द्वारा पं० दीन दयाल उपाध्याय आदर्श नगर पंचायत योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु नागर निकायों का चयन कर संस्तुतियों शासन को उपलब्ध करायी गयी हैं। जिलाधिकारियों से प्राप्त संस्तुतियों पर सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा वित्तीय वर्ष-2020-21 हेतु निम्न नागर निकायों को पं० दीन दयाल उपाध्याय आदर्श नगर पंचायत योजनान्तर्गत चयनित किये जाने का निर्णय लिया गया है:-

क्र० सं०	जनपद का नाम	वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु चयनित निकाय
1.	अयोध्या	रुदौली (न०पा०परि०)
2.	कौशाम्बी	अझुवा
3.	मैनपुरी	घिरोर
4.	बलरामपुर	बलरामपुर (न०पा०परि०)
5.	प्रतापगढ़	कटरा मेदनीगंज
6.	हरदोई	माधौगंज
7.	चन्दौली	पं० दीन दयाल उपाध्याय नगर (मुगलसराय)
8.	ललितपुर	ललितपुर (न०पा०परि०)
9.	बिजनौर	मण्डावर
10.	बस्ती	बनकटी
11.	गोण्डा	खरगूपुर
12.	गाजियाबाद	फरीदनगर
13.	संतकबीरनगर	हरिहरपुर
14.	फिरोजाबाद	सिरसागंज (न०पा०परि०)

15.	देवरिया	भटनीबाजार
16.	बदायूँ	कछला
17.	अलीगढ़	कौड़ियागंज
18.	गाजीपुर	बहादुरगंज
19.	बाँदा	मटौध
20.	सुलतानपुर	सुलतानपुर (न0पा0परि0)
21.	बाराबंकी	सिद्धौर
22.	मऊ	मधुबन
23.	सहारनपुर	अम्बेहटा
24.	कासगंज	मोहानपुर
25.	कुशीनगर	कप्तानगंज
26.	हाथरस	मुरसान

3. उल्लेखनीय है कि उक्त योजना के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या-777/9-8-2018-53ज/2017 टी.सी. दिनांक 21.03.2018 के प्रस्तर-7 में उन कार्यों का विस्तृत उल्लेख है, जिन्हें कार्ययोजना में सम्मिलित किया जाना है तथा प्रस्तर-6 के उप प्रस्तर-(1) यथा संशोधित शासनादेश संख्या-47/नौ-8-2019-53ज/2017 दिनांक 05.01.2019 में इस योजना के अन्तर्गत चयनित नागर निकायों की कार्ययोजना तैयार किये जाने की प्रक्रिया विस्तृत रूप से दी गयी है। इसके अतिरिक्त शासनादेश दिनांक 21 मार्च, 2018 के प्रस्तर-5 (क) में उक्त योजानान्तर्गत चयनित नगर पंचायतों में वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर 10 हजार तक की जनसंख्या वाली नगर पंचायत को रूपये 2.00 करोड़, 10 हजार से 20 हजार तक की जनसंख्या वाली नगर पंचायत को रूपये 3.00 करोड़ और 20 हजार से 50 हजार तक की जनसंख्या वाली नगर पंचायत को 4.00 करोड़ की धनराशि दो किशतों में उपलब्ध कराने की व्यवस्था निर्धारित की गयी है।

4. अतः उपरोक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया शासन द्वारा पं० दीन दयाल उपाध्याय आदर्श नगर पंचायत योजना के अन्तर्गत चयनित उक्त 26 नागर निकायों में से अपने जनपद से सम्बन्धित निकाय के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-777/9-8-2018-53ज/2017 टी.सी. दिनांक 21.03.2018 यथा संशोधित शासनादेश संख्या-47/नौ-8-2019-53ज/2017 दिनांक 05.01.2019 द्वारा निर्गत किये गये दिशा-निर्देश के अनुसार निकायों की जनसंख्या के आधार पर उन्हें प्राप्त होने वाली निर्धारित धनराशि की सीमा के अन्तर्गत नियमानुसार कार्ययोजना/डी.पी.आर. तैयार कराकर तत्काल शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

( डा० इन्द्रमणि त्रिपाठी ) 15/11/2021  
विशेष सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव:-

प्रतिलिपि-अधिशासी अधिकारी, सम्बन्धित नागर निकाय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,

( के०पी० सिंह )  
अनुसचिव।